SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

शिक्षा का महिला सशक्तिकरण में योगदान

हनी सिंह, शोधार्थी, **पूनम,** पी–एचडी, शोध पर्यवेक्षक, समाजशास्त्र विभाग
स्वामी शुकदेवानंद कालेज, मुमुक्षु आश्रम, शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश, भारत
सम्बद्ध–महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली, उत्तर प्रदेश, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Authors
हनी सिंह, शोधार्थी
पूनम, पी–एचडी, शोध पर्यवेक्षक
E-mail : k.honeysingh98@gmail.com

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 12/12/2025
Revised on : 13/02/2026
Accepted on : 22/02/2026
Overall Similarity : 00% on 14/02/2026

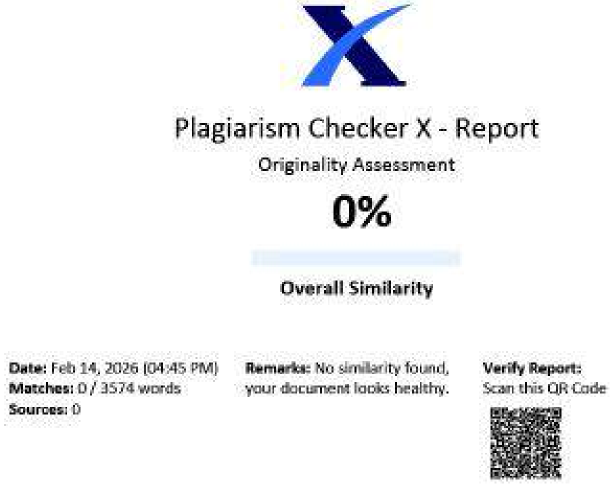

Plagiarism Checker X - Report
Originality Assessment
0%
Overall Similarity

Date: Feb 14, 2026 (04:45 PM)
Matches: 0 / 3574 words
Sources: 0

Remarks: No similarity found, your document looks healthy.

Verify Report: Scan this QR Code

शोध सार

स्वतंत्र भारत में महिलाओं की उन्नति एवं विकास में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है। महिलाओं की स्थिति में होने वाले परिवर्तन में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारत में महिलाओं का शिक्षित ना होना उनके पिछड़े हुए जीवन का एक कारण है इसलिए महिलाओं की दशा को सुदृढ़ करने तथा उन्हें सशक्त बनाने के लिए, महिलाओं की शिक्षा पर ध्यान देने की अत्यंत आवश्यकता है। सरकार महिलाओं की शिक्षा में भागीदारी को बढ़ाने के लिए कई अभियान या कार्यक्रमों का संचालन कर रही है। उदाहरण के लिए ''सर्व शिक्षा अभियान'' और ''बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ'' अभियान सरकार द्वारा महिलाओं की शिक्षा पर जोर देने वाली योजनाएं हैं। प्रस्तुत शोध के द्वारा इस तथ्य का विश्लेषण किया जाएगा कि किस प्रकार शिक्षा महिलाओं को सामाजिक एवं आर्थिक स्तर पर स्वतंत्रता प्राप्त करने में उपयोगी सिद्ध हुई है। उन्हें आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त बनाने में अपना योगदान दिया है। राजनीतिक और वैयक्तिक स्तर पर भी महिलाओं के सशक्तिकरण में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। शिक्षा केवल ज्ञानवर्धन का साधन मात्र नहीं है, यह आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का मूल आधार भी है। यही कारण है कि शिक्षा प्राप्त कर महिलाओं में आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता का विकास हुआ है। अन्याय, लैंगिक पूर्वाग्रहों और असमानताओं को हम बिना महिला सशक्तिकरण के दूर नहीं कर सकते है। महिलाओं को यदि सशक्त नहीं बनाया जाता है, तो वे जीवन में सुरक्षा और संरक्षण का आनंद लेने से वंचित रह जाएगी। सशक्तिकरण महिलाओं को एक सुरक्षित कार्य वातावरण भी प्रदान करता है। महिलाओं के शोशण और उत्पीड़न के खिलाफ सशक्तिकरण के शक्तिशाली उपकरण के रूप में कार्य

करता है। यह महिलाओं को पर्याप्त कानूनी सुरक्षा प्रदान करने का एक बड़ा साधन है।

मुख्य शब्द

महिला, सशक्तिकरण, शिक्षा, सामाजिक प्रस्थिति.

परिचय

भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को प्राप्त हुई परंतु यदि महिलाओं के विशय में देखा जाए, तो महिलाओं को स्वतंत्रता, शिक्षा का समान अवसर मिलने पर ही प्राप्त हुई। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व महिलाओं की दशा अत्यंत दयनीय थी। उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार से वंचित रखा गया था जिस कारण उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकार भी कमजोर हो रहे थे। महिलाओं को सामाजिक – आर्थिक स्तर पर पुरुषों के मुकाबले कमतर आंका जाता था। महिलाओं के प्रति बाल विवाह, सती प्रथा और पर्दा प्रथा जैसी कुरीतियां प्रचलित थी। महिलाओं का मुख्य दायित्व घर और बच्चों की देखभाल करना ही माना जाता था। उन्हें घर की चार दिवारी से बाहर निकालने की अनुमति नहीं दी जाती थी। महिलाओं की आर्थिक स्थिति भी सोचनीय थी, उन्हें पुरुषों पर आर्थिक रूप से निर्भर रहना पड़ता था। शिक्षा और रोजगार के अधिकारों से वंचित होने के कारण, वे आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर पाती थी। महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से भी वंचित रखा गया था। उन्हें राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। उन्हें वोट देने और चुनाव लड़ने का अधिकार भी प्रदान नहीं किया गया था। महिलाओं को मुख्य रूप से घरेलू सीमाओं तक ही सीमित रहना पड़ता था परंतु भारत की स्वतंत्रता के बाद संविधान का निर्माण किया गया जिसके अनुसार नागरिकों को समानता का जीवन जीने का अधिकार दिया गया। शिक्षा को सभी नागरिकों के लिए अनिवार्य मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई। सशक्तिकरण महिलाओं में आत्मविश्वास जगाता है, जिससे उनमें सार्थक और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने की क्षमता का विकास होता है जिस कारण दूसरों पर उनकी निर्भरता समाप्त होती है और उनका जीवन के स्वतंत्र व्यक्तित्व के रूप में परिणित होता है। वे अपने जीवन में सम्मान और स्वतंत्रता प्राप्त करने में सक्षम होती है, जिससे उनके आत्म सम्मान में बढ़ोतरी होती है और वह अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाती है। सशक्त महिलाएं समाज में अपनी पहचान बनाने और समाज की भलाई में सार्थक योगदान करने में सक्षम होती है। यदि महिलाएं समाज में अपनी पहचान बनाना चाहती है, तो उन्हें सामाजिक – आर्थिक रूप से सशक्त होने की आवश्यकता है। सामाजिक – आर्थिक गतिविधियों में भी उनका योगदान प्राप्त करना अनिवार्य है, क्योंकि महिलाएं अत्यधिक रचनात्मक और बुद्धिमान होती है।

महिलाओं के शिक्षित न होने के अंतर्निहित कारक

- **पितृसत्ता और पुत्र वरीयताः** ग्रामीण परिवारों में पितृसत्ता और पितृवंशीय रीति – रिवाज प्रमुख रूप से प्रचलित है। जिनकी जड़े बहुत ही गहरी है। इस व्यवस्था में पुरूष को प्राथमिक प्राधिकारी के रूप में स्थापित किया जाता है। इससे समस्त सामाजिक एवं पारिवारिक निर्णय लेने के अधिकार पुरूष को सौंप दिए जाते है। यह सामाजिक संरचना संभवतः महिलाओं के उनके परिवारों और व्यापक समुदायों दोनों में अधीनस्थ स्थिति में रहने के लिए जिम्मेंदार है जिससे उनके अधिकार सीमित हो जाते है। पितृसत्ता की ही तरह परिवारों में पुत्र जन्म को प्रबल वरीयता दी जाती है। पुत्रो को समाज एवं परिवार में पारंपरिक रूप से अधिक मूल्यवान माना जाता है, क्योंकि पुत्र को समाज में माता – पिता के बुढ़ापे का सहारा माना जाता है, और उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह बुढ़ापे में उन्हें सहायता प्रदान करेगा। पुत्र प्राप्ति की वरीयता इतनी गहरी है कि महिलाएं स्वंय भी यहीं मानती है इसलिए पुरूषों की शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया जाता है। इसके विपरीत, बेटियों को परिवार पर एक आर्थिक और सामाजिक बोझ के रूप में देखा जाता है। बेटियों के प्रति इस भावना का मुख्य कारण दहेज प्रथा है। इसके अतिरिक्त यह अपेक्षा कि बेटियाँ विवाह के बाद अपने ससुराल चली जायेगी, जिससे उनके ऊपर किया गया निवेश व्यर्थ हो जायेगा। बेटियों पर उनकी युवावस्था के दौरान निवेश न करना सीधे तौर उनके लिए शिक्षा तक पहुँच में कमी का कारण बनता है।

- **परिवार की गरीबी:** गरीबी को लैंगिक असमानताओं के प्राथमिक चालकों में से एक के रूप में माना जाता है। यह तथ्य निर्विवाद रूप से सत्य है। परिवार की गरीबी बालिकाओं और महिलाओं के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और आर्थिक अवसरों जैसे मौलिक संसाधनों तक उनकी पहुँच को गंभीर रूप से प्रतिबंधित करती है। गरीब परिवारों की यह मजबूत प्रवृत्ति होती है कि उनमें सीमित उपलब्ध संसाधनों के लिए पुरूश सदस्यों को प्राथमिकता दी जाती है। इसका आधार एक ऐसी धारणा होती है कि ''पुरूष प्राथमिक आय अर्जित करने वाले और परिवार के प्रदाता बनेंगे''। यह आर्थिक तर्क निष्चित रूप बहुत कम उम्र से ही बालिकाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था में कम निवेश का कारण बनता है। इसी कारण गरीब परिवारों में बालिकाओं की औपचारिक शिक्षा पर व्यय करने को व्यर्थ समझा जाता है। अतः गरीबी महिलाओं के शिक्षित न होने का एक जीवंत कारक है।

सांस्कृतिक मानदंड और पारंपरिक लैंगिक भूमिकाएँ

बालिकाओं की शारीरिक सुरक्षा और पारिवारिक सम्मान के संरक्षण को लेकर गहरी चिंताएँ बालिकाओं के प्रति शैक्षिक निर्णयों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। खासकर बालिकाओं की शिक्षा को प्रतिबंधित करने का प्राथमिक कारक सुरक्षा चिंताओं को बताया जाता है। जब स्कूल घर से दूर स्थित होते है तो रास्ते असुरक्षित माने जाते है, तब यह व्यापक भय अक्सर बालिकाओं को उनके घरों तक सीमित कर देता है, और माता – पिता बेटियों को उनकी शिक्षा से हटा लेते है। इस प्रकार वह गंभीर रूप से उनकी गतिशीलता और सार्वजनिक जुड़ाव के अवसरों को प्रतिबंधित करते है। पारंपरिक मानदंड और महिलाओं की पवित्रता एवं सम्मान से संबंधित चिंताएँ अक्सर उनकी शिक्षा पर निराधार ही प्रतिबंध लगाती है। प्रचलित सांस्कृतिक प्रथाएँ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर महिलाओं की स्वायत्तता को गंभीर रूप से सीमित करती है। महिलाओं को स्वयं और अपने परिवार के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेने के मौलिक अधिकारों से भी वंचित करती है। बाल विवाह की प्रथा बालिकाओं की शिक्षा को प्रभावी रूप से प्रभावित करती है जिससे उनके व्यक्तिगत विकास में काफी बाधायें उत्पन्न होती है। भारत में पितृसत्ता कठोर एवं पूर्वनिर्धारित लैंगिक भूमिकाओं के माध्यम से प्रकट होती है जो बड़े पैमाने पर महिलाओं को घर के भीतर घरेलू और देखभाल संबंधी भूमिकाओं तक सीमित रखती है। इन भूमिकाओं में दैनिक घरेलू काम, पानी लाना, जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करना और खेत के कामों में भी योगदान देना शामिल है। महिलाओं के यह सभी काम अवैतनिक है।

शिक्षा और महिला सशक्तिकरण का संबंध

शिक्षा का महिलाओं के विकास और उनके सशक्तिकरण से सीधा और घनिष्ठ संबंध है। शिक्षा का विकास किए बिना महिलाओं को सशक्त बनाना असंभव है। महिला सशक्तिकरण और शिक्षा एक–दूसरे पर परस्पर निर्भर हैं, ये एक – दूसरे के पूरक तत्व है।

- महिला जब शिक्षित होती है, तब वह अपने अधिकारों को पहचानती है। वह अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होती है जिनकी प्राप्ति के लिए वह समाज से लड़ सकती है।
- शिक्षित महिला समाज में व्याप्त कुरीतियों (जैसे – बाल विवाह, सती प्रथा तथा पर्दा प्रथा) के विरुद्ध आवाज उठा सकती है। शिक्षित महिला इन कुरीतियों को समाप्त करने करने अथवा इनमें परिवर्तन लाने का प्रयास करती है।
- महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त होने के लिए शिक्षित होना आवश्यक है। शिक्षित महिलाएं आर्थिक स्वतंत्रता को प्राप्त कर, आत्मनिर्भर जीवन व्यतीत कर सकती हैं। शिक्षा महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए आवश्यक शर्त है।
- जो महिलाएं शिक्षित नहीं होती, उनमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास नहीं होता है। शिक्षित महिलाएं

परिवार और समाज में अपने अधिकारों का प्रयोग कर निर्णय लेने में समर्थ होती है।

स्वतंत्र भारत में महिला शिक्षा की प्रगति

विभिन्न वर्षों में स्त्री पुरुष साक्षरता दर

क्र.	वर्ष	कुल साक्षरता (प्रतिशत में)	पुरुष साक्षरता (प्रतिशत में)	महिला साक्षरता (प्रतिशत में)	अंतर (प्रतिशत में)
1.	1951	18.33	27.66	08.86	18.30
2.	1961	28.30	41.50	13.15	28.35
3.	1971	34.45	47.69	19.36	28.33
4.	1981	43.57	56.38	29.76	26.62
5.	1991	52.21	64.13	39.29	24.84
6.	2001	64.83	75.83	53.67	21.69
7.	2011	74.04	82.14	65.46	16.68

(स्त्रोतः जनगणना वर्ष 1951, 1961, 1971, 1981, 1991, 2001, 2011)

वर्ष 1951 में भारत में कुल साक्षरता दर 18.33 प्रतिशत थी। यदि पुरुषों की साक्षरता दर की बात की जाये, तो वह 27.66 प्रतिशत थीं। वहीं महिला जनसंख्या की साक्षरता दर मात्र 8.86 प्रतिशत थी। इस प्रकार पुरूष एवं महिला साक्षरता दर का अंतर 18.30 प्रतिशत था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् महिलाओं की साक्षरता दर को बढ़ाने एवं उनके सशक्तिकरण के कई प्रयास किए गए जिनके परिणाम आगामी वर्षों में दृश्टिगोचर हुए। वर्ष 1961 में भारत में कुल साक्षरता दर 28.30 प्रतिशत थी। यदि पुरुषों की साक्षरता दर की बात की जाये, तो वह 41.50 प्रतिशत थीं। वहीं महिला जनसंख्या की साक्षरता दर मात्र 13.15 प्रतिशत थी। इस प्रकार पुरूष एवं महिला साक्षरता दर का अंतर 28.35 प्रतिशत था। वर्ष 1971 में भारत में कुल साक्षरता दर 34.45 प्रतिशत थी। यदि पुरुषों की साक्षरता दर की बात की जाये, तो वह 47.69 प्रतिशत थीं। वहीं महिला जनसंख्या की साक्षरता दर मात्र 19.36 प्रतिशत थी। इस प्रकार पुरूष एवं महिला साक्षरता दर का अंतर 28.33 प्रतिशत था। वर्ष 1981 में भारत में कुल साक्षरता दर 43.57ः थी। यदि पुरुषों की साक्षरता दर की बात की जाये, तो वह 56.38 प्रतिशत थीं। वहीं महिला जनसंख्या की साक्षरता दर मात्र 29.76 प्रतिशत थी। इस प्रकार पुरूष एवं महिला साक्षरता दर का अंतर 26.62 प्रतिशत था। वर्ष 1991 में भारत में कुल साक्षरता दर 52.21 प्रतिशत थी। यदि पुरुषों की साक्षरता दर की बात की जाये, तो वह 64.13 प्रतिशत थीं। वहीं महिला जनसंख्या की साक्षरता दर मात्र 39.29 प्रतिशत थी। इस प्रकार पुरूष एवं महिला साक्षरता दर का अंतर 24.84 प्रतिशत था। वर्ष 2001 में भारत में कुल साक्षरता दर 64.83 प्रतिशत थी। यदि पुरुषों की साक्षरता दर की बात की जाये, तो वह 75.83 प्रतिशत थीं वहीं महिला जनसंख्या की साक्षरता दर मात्र 53.67 प्रतिशत थी। इस प्रकार पुरूष एवं महिला साक्षरता दर का अंतर 21.69 प्रतिशत था। अतः भारतीय सरकार के निरंतर प्रयासों से पुरूष एवं महिला साक्षरता दर दोनों में वृद्धि हुई है, और दोनों की साक्षरता दरों के बीच अंतर भी कम हुआ है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल साक्षरता दर बढ़कर 74.04 प्रतिशत हो गयी थी, पुरुष साक्षरता दर 82.14 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता दर 65.46 प्रतिशत थी। इस प्रकार वर्ष 2011 की जनगणना में दोनों के बीच साक्षरता दर का अंतर मात्र 16.68 प्रतिशत ही रह गया है, जो अब तक की साक्षरता दरों के मध्य सबसे न्यूनतम अंतर है। अतः उपरोक्त विवरण के आधार पर कहा जा सकता है कि स्वतंत्र भारत में महिलाओं की शिक्षा में प्रगति हुई है। सरकार को ऐसी पहलें करनी चाहिए जिससे ऐसा माहौल बने जो लैंगिक भेदभाव रहित हो और जो महिलाओं की समानता की भावना के साथ स्वयं निर्णय लेने और देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में भाग लेने के समान अवसर प्रदान कर सके। इसके साथ ही महिलाओं को शिक्षा और रोजगार के समान अवसर बिना किसी भेदभाव के दिए जाने चाहिए।

नीतिगत पहलें

- वर्ष 1947 में महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पहले विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग और बाद में 1958 में महिला शिक्षा समिति की स्थापना की गई।
- सर्व शिक्षा अभियान सभी को शिक्षा का समान अवसर प्राप्त हो, किस उद्देश्य के साथ सितंबर, 2003 में शुरू किया गया। इस अभियान का महिलाओं के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण योगदान है। सर्व शिक्षा अभियान लैंगिक समानता स्थापित कर बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने और उन्हें सशक्त बनाने का एक प्रयास है।
- ''बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ'' योजना का आरंभ 22 जनवरी, 2015 को हुआ था। यह योजना सरकार द्वारा शिक्षा में लैंगिक समानता को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। यह योजना महिलाओं एवं बालिकाओं को शिक्षित करने, उन्हें समाज में समान अवसर प्रदान करने और उनके सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और 2020 की नीतियों में महिलाओं की शिक्षा पर विशेष रूप से ध्यानाकर्षण किया गया। इन नीतियों का प्रथम उद्देश्य समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सभी के लिए सुनिश्चित करना है। यह नीतियां महिलाओं को सामाजिक – आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने पर जोर देती हैं, और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रयास करती हैं।
- जनवरी 1992 में सरकार ने एक वैधानिक निकाय के रूप में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की जिसका प्रमुख कार्य महिलाओं से जुड़े संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों का अध्ययन और निगरानी करना एवं संशोधनों का सुझाव देने के लिए मौजूदा कानून की समीक्षा करना आदि है।
- महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के महिला एवं बाल विकास विभाग ने वर्ष 2001 में एक राष्ट्रीय नीति तैयार की। यह नीति महिलाओं के सशक्तिकरण के लक्ष्यों के संबंधित विभिन्न मुद्दों पर उनमें जागरूकता लाकर सामाजिक – आर्थिक और राजनीतिक – सांस्कृतिक पहलुओं में उनकी उन्नति, विकास और सशक्तिकरण लाना है।

संवैधानिक प्रावधान

1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से महिला साक्षरता दर में निरंतर वृद्धि हो रही है। यह वृद्धि सिर्फ शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी बालिकाओं की स्कूल उपस्थिति में बढ़ोतरी के रूप में, वृद्धि हुई है। भारतीय संविधान महिलाओं की सुरक्षा, उन्हें समान अवसर प्रदान करने और महिला सशक्तिकरण के लिए कई प्रावधान करता है।

संविधान में महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रमुख प्रावधानः

- **अनुच्छेद 14**: कानून के समक्ष समानता।
- **अनुच्छेद 15 (3)**: महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान।
- **अनुच्छेद 16**: सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर।
- **अनुच्छेद 39 (डी)**: समान कार्य के लिए समान वेतन।
- **अनुच्छेद 42**: काम की न्याय संगत और मानवीय स्थिति।
- **अनुच्छेद 51 ए(ई)**: महिलाओं के प्रति अपमानजनक प्रथाओं को त्यागना।
- **अनुच्छेद 300ए**: महिलाओं को संपत्ति का अधिकार।
- **73वां संविधान संशोधनः** स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण।

कानूनी प्रावधान

महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए निम्नलिखित कुछ कानूनी प्रावधान हैः

- समान पारिश्रमिक अधिनियम – 1976।
- दहेज निशेध अधिनियम – 1961।
- अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम – 1956।
- मातृत्व लाभ अधिनियम – 1961।
- सती प्रथा निवारण अधिनियम – 1987।
- बाल विवाह निशेध अधिनियम – 2006।
- कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, संरक्षण एवं निवारण) अधिनियम – 2013।

महिला सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिका

सामाजिक सशक्तिकरण

शिक्षित महिलाएं समाज में सम्मान प्राप्त करते हैं। शिक्षित महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होती हैं। शिक्षित महिलाएं कुरीतियों के खिलाफ अपनी आवाज उठाती हैं और संघर्ष कर उनमें परिवर्तन लाती हैं। शिक्षित महिलाएं समाज में अलग – अलग भूमिकाएं (जैसे – शिक्षिका, कर्मचारी और व्यावसायिक महिला) निभा सकती हैं। आज के समय में महिलाओं के सशक्तिकरण की मांग शहरों तक की सीमित नहीं है बल्कि अब दूरदराज के कस्बों और गावों में भी महिलाएं, समाज में अपनी आवाज बुलंद और स्पष्ट रूप से उठा रही है। यह कहना उचित है, की वर्तमान समय में समाज में महिलाओं के साथ होने वाला भेदभाव काफी हद तक काम हुआ है, परंतु दुर्भाग्यवश उनमें से कई महिलाओं को शोशण और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है।

आर्थिक सशक्तिकरण

शिक्षा प्राप्त महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकती है। वह किसी नौकरी या व्यवसाय में सक्रिय होकर अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकती हैं। महिलाएं स्वरोजगार या स्टार्टअप के माध्यम से अपने साथ – साथ अन्य महिलाओं को भी आर्थिक रूप से सशक्त बना सकती है। महिलाओं के आर्थिक रूप से सशक्त होने से, न केवल महिलाओं का ही जीवन बेहतर बनता है केवल महिलाओं का भी जीवन बेहतर बनता है, अपितु समाज और अर्थव्यवस्था भी मजबूत होते हैं। सशक्त महिलाएं देश की एक सक्षम नागरिक के रूप में कार्य करती है। महिलाएं देश के सकल घरेलू उत्पाद (जी. डी. पी.) की वृद्धि करने और उसे बढ़ावा देने में सक्षम है क्योंकि महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र होकर अपनी सभी आवश्यकताओं और इच्छाओं पर खर्च करने में सक्षम होती है, उन्हें देश के संसाधनों तक उचित और न्याय संगत पहुंच भी प्राप्त होती है। महिलाएं विश्व की आबादी का एक बड़ा हिस्सा है। यदि उन्हें रोजगार प्रदान नहीं किया जाता है, तो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। एक न्याय संगत और प्रगतिशील समाज बनाने के लिए महिलाओं को रोजगार के समान अवसर प्रदान करने की आवश्यकता है। यहाँ न केवल महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता का सुझाव दिया जा रहा है, बल्कि उनके द्वारा दिए जा रहे योगदान को औपचारिक रूप से पहचानने और महत्व देने की भी आवष्यकता है।

राजनीतिक सशक्तिकरण

महिलाओं का राजनीति में सशक्तिकरण का अर्थ है, कि महिलाओं को राजनीतिक प्रक्रियाओं में सक्रिय भागीदारी और निर्णय लेने की प्रक्रिया में समय समान अवसर दिया जाना। संविधान में महिलाओं को समान अधिकार दिए हैं। बहुत सी शिक्षित महिलाओं ने पंचायत से लेकर संसद तक अपनी भागीदारी दर्ज की है। कई महिलाएं राजनीतिक उच्च पदों (जैसे – मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रपति) पर भी आसीन हुई है। इससे समाज और देश के विकास में सकारात्मक बदलाव आते हैं। अब महिलाएं अपने लिए समान राजनीतिक अधिकारों की मांग कर रही है। जिसके अंतर्गत काम करने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और निर्णय लेने का अधिकार आदि शामिल है। महिलाओं को विभिन्न प्रकार के अन्याय और भेदभाव से बचने के लिए भारतीय संसद द्वारा कई कानून पारित किए गए है। संसद द्वारा 1992 में पारित 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा स्थानीय स्वशासन में महिलाओं के

लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई जिसके अनुसार सभी स्थानीय निकायों में निर्वाचित पदों की कुल सीटों का एक तिहाई हिस्सा महिलाओं के लिए सुनिश्चित किया गया है, चाहे वह ग्रामीण क्षेत्रों में हो या शहरी क्षेत्र में हो।

चुनौतियां

महिलाओं की शिक्षा के विकास के मार्ग में कई चुनौतियां आयी है। पहली बाधा सामाजिक ढांचे में कमी है, जो पुरुषों को सत्ता का अधिकारी और महिलाओं को पूर्ण रूप से का अधीनस्थ बनाती है। महिलाओं की शिक्षा में सबसे बड़ी बाधा समाज में पुरुषों की प्रधानता को माना जा सकता है। विशेषताः ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी महिलाओं की शिक्षा तक पहुंच सीमित है। महिला शिक्षा के मार्ग में अन्य चुनौतियों लैंगिक भेदभाव, बाल श्रम, सामाजिक रूढ़ियाँ और आर्थिक बाधाएं हैं। यह चुनौतियां महिला शिक्षा के मार्ग में रुकावट पैदा करती है। इन चुनौतियों के अतिरिक्त गरीबी, सामाजिक सांस्कृतिक बाधाएं, लैंगिक भेदभाव और महिलाओं की सुरक्षा संबंधी चिंताएँ भी ऐसी चुनौतियां हैं, जो महिला शिक्षा के मार्ग में बाधा है। यही कारण है, कि माध्यमिक स्तर पर और उच्च शिक्षा में बालिकाओं एवं महिलाओं की संख्या अपेक्षाकृत कम है।

निष्कर्ष

शिक्षा महिला सशक्तिकरण का मूल आधार है। शिक्षा महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान करती है। शिक्षा ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में कई क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं। शिक्षित महिला सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्तर पर सम्मान को प्राप्त करती है। शिक्षित होकर महिला केवल स्वयं के जीवन में ही नहीं बल्कि पूरे समाज में परिवर्तन ला सकती है। सरकार को यह जिम्मेदारी उठानी होगी कि बालिकाओं एवं महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो सके जिससे वह सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बन सके। इस प्रकार कहना उचित होगा कि शिक्षा ही सशक्तिकरण की कुंजी है। 21वीं सदी में महिला सशक्तिकरण सबसे महत्वपूर्ण चिंताओं में से बन गया है, न केवल राष्ट्रीय स्तर पर, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी। अतः महिला सशक्तिकरण समाज के विकास का एक आवश्यक अंग है। महिला सशक्तिकरण के बिना समाज का विकास असंभव है। चूँकि महिलाओं को ही इस समाज की नींव माना जाता है समाज की मजबूती के लिए महिलाओं का सशक्त होना एक आवश्यक शर्त है। इसका निहितार्थ यह है कि महिलाओं की शिक्षा को संबोधित करने के लिए केवल स्कूल सुविधाओं से ही नहीं, बल्कि उन अंतर्निहित सामाजिक चिंताओं और सांस्कृतिक और पारंपरिक मानदंडों से भी निपटना होगा उनकी आवाजाही और स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करते हैं।

संदर्भ सूची

1. पूनम (2003) *महिला सशक्तिकरण में उच्च शिक्षा की भूमिका*, स्वरांजलि पब्लिकेशन, वसुंधरा, गाजियाबाद।
2. व्होरा, आशा रानी (2005) *लड़कियों की शिक्षाः एक अच्छा राष्ट्रीय निवेश*, श्री नटराज प्रकाशन, नई दिल्ली।
3. रावत, ज्ञानवेंद्र (2006) *औरतः एक समाजशास्त्रीय अध्ययन*, विश्वभारती पब्लिकेशन, दिल्ली।
4. पाण्डेय, अनुराधा, (2010) *महिला सशक्तिकरणरू शिक्षा के द्वारा महिला सशक्तिकरण*, इशिका पब्लिशिंग हाउस, जयपुर।
5. भारतीय जनगणना (1951, 1961, 1971, 1981, 1991, 2001, 2011)
6. खंडेला, मानचंद (2002) *समाज और नारी*, अरिहन्त पब्लिशिंग हाउस, जयपुर।
7. सिंह, रेचल एवं द्विवेदी, राकेश (2005) *बालिकाओं के प्रति लिंगभेदः चुनौतियाँ एवं रणनीतिक प्रयास (महिला सशक्तिकरणः चुनौतियाँ एवं रणनीतियाँ)* पूर्वांषा प्रकाशन, भोपाल।
8. नाटाणी, प्रकाश नारायण (2005) *मानवाधिकार एवं महिलाएँ*, सबलाईम पब्लिकेशन्स, जयपुर।
9. व्होरा, आशारानी (2005) *लड़कियों की शिक्षाः एक अच्छा राष्ट्रीय निवेश (आधुनिक समाज में स्त्री)*, श्री

नटराज प्रकाशन, नई दिल्ली।

10. रावत, ज्ञानवेन्द्र (2006) *औरतः एक समाजशास्त्रीय अध्ययन,* विश्व भारती पब्लिकेशन्स, दिल्ली।
11. शुक्ला, डी. पी. एवं तिवारी, आर. पी. (2008) *भारतीय नारी वर्तमान समस्याएं एवं भावी समाधान,* ए. पी. एच. पब्लिशिंग कॉर्पोरेशन, नई दिल्ली।
12. वर्मा, नम्रता (2010) *राजस्थान की सामाजिक आर्थिक संरचना में लैंगिक असमानता के प्रादेशिक आयाम,* डी. आर. एम. पब्लिशर, फैजाबाद (उ. प्र.)।
13. पाण्डेय, अनुराधा (2010) *महिला सशक्तिकरण–शिक्षा के द्वारा महिला सशक्तिकरण,* इशिका पब्लिशिंग हाउस, जयपुर।
14. शर्मा, रमा एवं मिश्रा, एम. के. (2010) *महिलाओं के मौलिक अधिकार,* अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।
15. माहेश्वरी, अविनाश (2011) *महिला अधिकार एवं कानून,* प्रिज्म बुक्स, जयपुर।
16. चतुर्वेदी, प्रतिमा (2012) *नई शताब्दी में महिलाओं की शिक्षाः एक चुनौती (महिला साक्षरता और सशक्तिकरण)* वाईकिंग बुक्स, जयपुर।
17. शर्मा, पूजा (2012) *महिलाएँ एवं मानवाधिकार,* सागर पब्लिशर्स, जयपुर।
18. राव, अनुकृति (2018) *युवा और जेंडर भेदभाव,* हिमांशु पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।
19. यादव, राजेंद्र (2019) *पितृसत्ता के नए रूप,* राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली।

****